UPRB010031152026

न्यायालय प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, रायबरेली

पीठासीन अधिकारी–श्री अनिल कुमार पंचम, (उ०प्र० उच्चतर न्यायिक सेवा)– UP6045

प्रथम जमानत प्रार्थना–पत्र संख्या–1332/26

1. सन्तोष उर्फ अवधेश उम्र लगभग 32 वर्ष पुत्र रमेश उर्फ सुन्दर निवासी ग्राम रानी खेड़ा थाना बछरावां, जनपद रायबरेली

..... **प्रार्थी/अभियुक्त**

बनाम

1. राज्य उ०प्र० द्वारा जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) रायबरेली।

..... **अभियोगी।**

मुकदमा अपराध संख्या–188/2025
अं०धारा–305, 317 (2) बी०एन०एस०
थाना–डीह, जिला–रायबरेली

दिनांक–18.06.2026

प्रार्थी/अभियुक्त **सन्तोष उर्फ अवधेश** की ओर से यह प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र मय शपथपत्र अन्तर्गत अपराध संख्या 188/2025, अन्तर्गत धारा–305, 317(2) भारतीय न्याय संहिता 2023, थाना डीह, जिला रायबरेली के मामले में जमानत हेतु प्रस्तुत किया गया है।

अभियोजन कथानक संक्षेप में इस प्रकार है कि, प्रार्थी रामदेव यादव पुत्र कल्लू निवासी ग्राम सिटकहिया वार्ड नं 4 नगर पंचायत परशदेपुर थाना डीह जनपद रायबरेली का मूल निवासी हैं। दिनांक 26–07–2025 को सुवह 4 बजे करीब कुछ अज्ञात चोरो द्वारा मेरे घर से 25000 रु० व कुछ सोने चांदी के जेवरात उठा ले गये जब सुबह उठा तो पता चला की पडोसी प्रिंयका के घर पर इन्हीं चोरो द्वारा 8500 रुपया व कुछ चांदी के जेवरात चोरी करके उठा ले गये। अतः आवश्यक कार्यवाही करने की कृपा करे।"

प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से अपने जमानत प्रार्थनापत्र में यह कथन किया गया कि प्रार्थी/अभियुक्त सर्वथा निर्दोष है, उसे उपरोक्त वाद में रंजिशन, फर्जी व झूठा फंसा दिया गया है। उपरोक्त मामलें में प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध कोई साक्ष्य नहीं है, मात्र अन्य अभियुक्तगण के बयान के आधार पर प्रार्थी/अभियुक्त को उपरोक्त मामलें में अभियुक्त बना दिया गया है। उपरोक्त मामला अज्ञात चोरों के विरूद्ध अंकित करवाया गया था एवं मामलें की फर्द बरामदगी में प्रार्थी/अभियुक्त के पास उपरोक्त मामलें में चोरी गयी कोई वस्तु नही मिली है। अभियोजन के द्वारा प्रार्थी/अभियुक्त सं० 1 के पास से इस मामले में 1500/– रू० की बरामदगी दिखायी गयी है। चोरी गये रूपयो की नोटो की कोई पहचान वादी मुकदमा द्वारा प्राथमिकी में नही बतायी गयी है ऐसी स्थिति में प्रार्थी/अभियुक्त के पास बरामद रूपयों को उपरोक्त मामलें की चोरी से सम्बन्धित नही किया जा सकता है। प्रार्थी/अभियुक्त के

पास से कथित रूप से बरामद रूपयों की मामलें के विवेचक महोदय द्वारा कोई पहचान नही करवायी गयी है। बरामदगी का कोई स्वतंत्र निष्पक्ष जनता का साक्षी नही है और रात्रि की बरामदगी होने पर भी प्रकाश के स्त्रोत के विषय में कुछ नही बताया गया है जो बरामदगी को संदेहास्पद बनाता है। प्रार्थी/अभियुक्त के ऊपर आरोपित अपराध दण्डाधिकारी द्वारा विचारणीय है। वास्तविकता यह है कि बड़मानुष जाति का होने के कारण स्थानीय पुलिस प्रार्थी/अभियुक्त व अन्य को गुडवर्क के तहत फर्जी फंसा दिया है। प्रार्थी/अभियुक्त सं० 1 के घर पर उसकी बेटी के विवाह का कार्यक्रम था, सभी रिश्तेदार आये हुए थे तभी स्थानीय पुलिस ने प्रार्थी/अभियुक्त व अन्य व उनकी पत्नियों को घर पर पकड़ लिया। स्थानीय पुलिस ने प्रार्थी/अभियुक्त की पत्नियों को छोड़ने के उनसे 26000/–रू0 लिये व उसी धनराशि को प्रार्थी/अभियुक्त से बरामदगी दिखाकर उन्हें झूठे मुकदमें में संलिप्त दर्शा दिया है। सहअभियुक्तगण की जमानत माननीय न्यायालय द्वारा स्वीकृत की जा चुकी है। प्रार्थी/अभियुक्त दिनांक 26.08.2025 से न्यायिक अभिरक्षा में जिला कारागार रायबरेली में निरूद्ध है। प्रार्थी/अभियुक्त का यह प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र है इस जमानत प्रार्थनापत्र के अलावा अन्य कोई भी प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय अथवा माननीय उच्च न्यायालय में नही दिया गया है और न ही विचाराधीन है। प्रार्थी/अभियुक्त अपनी विश्वसनीय जमानते देने को तैयार है जमानत का किसी प्रकार से दुरूपयोग नहीं करेंगे एवं न्यायालय द्वारा आदेशित किये जाने पर व्यक्तिगत रूप से न्यायालय उपस्थित रहेंगे और न्यायालय द्वारा दिये गये आदेशों, निर्देशों का पालन करेंगे तथा मुकदमा विचारण में पूर्ण सहयोग करेगा। अतः प्रार्थी/अभियुक्त को दौरान मुकदमा जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी है।

प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह बहस की गई कि, अभियुक्त/आवेदक पूरी तरह निर्दोष है और अभियोजन पक्ष द्वारा उसे झूठा फंसाया गया है। अभियुक्त के पास से कथित बरामदगी नहीं हुयी है। कथित घटना का कोई स्वतंत्र साक्षी नहीं है। अभियुक्त प्रथम सूचना में नामित नहीं है। अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। अतः अभियुक्त जमानत का हकदार है।

अभियोजन द्वारा उक्त तर्क का विरोध करते हुए यह बहस की गई कि, अभियुक्त के विरूद्ध केस डायरी में प्रमाणित व पर्याप्त साक्ष्य हैं। उपरोक्त मुकदमा में बरामदगी के आधार पर ही अभियुक्त को पुलिस टीम द्वारा गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त का नाम मुकदमा उपरोक्त में साथियों की गिरफ्तारी, बरामदगी एवं बयान के आधार पर प्रकाश में आया है। अभियुक्त जमानत पर रिहा होने के पश्चात जमानत की शर्तों का दुरूपयोग करेगा। गवाहों को डरायेगा, धमकायेगा एवं फरार हो जायेगा। अतः अभियुक्त जमानत का हकदार नहीं है।

मैंने अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी के तर्कों को सुना तथा अभियोजन प्रपत्रों का अवलोकन किया।

अभियोजन कथानक व आवेदक/अभियुक्त द्वारा लिए गए बचाव से यह तथ्य विवादित नहीं है कि, दिनांक 26.07.2025 की कथित घटना के बाबत दिनांक

26.07.2025 को ही समय 17.38 बजे अज्ञात चोर के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी गयी है। आवेदक/अभियुक्त को कथित गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर प्रस्तुत प्रकरण में दौरान विवेचना नामित किया गया है। कथित बरामदगी/गिरफ्तारी का कोई स्वतन्त्र साक्षी संदर्भित नहीं है। अभियुक्त दिनांक 26.08.2025 से जिला कारागार में निरूद्ध है।

अतः मामले के गुण दोष पर कोई अभिमत व्यक्त किये बिना मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों, अपराध की प्रकृति व अभियुक्त की भूमिका को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्त की जमानत स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाता है। प्रार्थी/अभियुक्त **सन्तोष उर्फ अवधेश** को अपराध संख्या 188/2025, में धारा–305, 317(2) भारतीय न्याय संहिता 2023, थाना डीह, जिला रायबरेली के मामले में, उसके द्वारा पचास हजार रूपये का व्यक्तिगत बंधपत्र व इसी धनराशि की एक प्रतिभू, सम्बन्धित न्यायालय की सन्तुष्टि के अनुसार प्रस्तुत करने तथा अधोवर्णित वचनपत्र दाखिल करने की शर्त पर, जमानत पर रिहा किया जाये।

1– यह कि आवेदक–अभियुक्त दौरान साक्ष्य साक्षी/साक्ष्य से छेड़खानी नही करेगा ।

2– यह कि प्रार्थी–अभियुक्त इस आशय का वचन दाखिल करेगें कि अभियोजन साक्षी के उपस्थित होने पर साक्ष्य की तिथियों में कोई स्थगन प्रार्थनापत्र योजित नहीं करेगा और यदि अभियुक्त के द्वारा स्थगन प्रार्थनापत्र दिया जाता है तो सम्बन्धित न्यायालय उक्त स्थगन को वचनभंग मानते हुये जमानत का दुरूपयोग मानकर विधि अनुसार अभियुक्त की जमानत निरस्त करने हेतु अधिकृत होगा।

3– यह कि प्रार्थी–अभियुक्त प्रत्येक परिस्थिति में सम्बन्धित परीक्षण न्यायालय में निम्न वर्णित स्तर पर सकारात्मक रूप से उपस्थित रहेगें –

I. परीक्षण प्रारम्भ होने के स्तर पर।

II. आरोप गठित होने की तिथि में।

III. बयान अन्तर्गत धारा 351 बी०एन०एस०एस० कलमदर्ज होने की तिथि में।

उपरोक्त तीनों स्तर पर यदि आवेदक–अभियुक्त की अनुपस्थिति बिना किसी युक्तियुक्त कारण के अथवा जानबूझकर कारित पायी जाती है तब परीक्षण न्यायालय को उक्त अनुपस्थिति को जमानत की शर्तों का उल्लंघन मानते हुये विधि अनुसार जमानत निरस्त करते हुये प्रभावी कार्यवाही करने का अधिकार होगा।

(अनिल कुमार पंचम)
प्रथम अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश,
रायबरेली।

Maneesha Kumari
(Stenographer)

Digitally signed by ANIL KUMAR
Date: 2026.06.19 12:42:48 IST
Reason: Order
Location: District and Sessions Court